प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या – 6259 / 15-7-06 -16(2)/2007

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र – 2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ दिनांक 17/01/2007

विषयः बी० एस० एस० एजूकेशन सेन्टर ए–11 इन्दिरा नगर रायबरेली को सी० बी० एस० ई० नईदिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है की उक्त संदर्भित विद्यालय को सी० बी० एस० ई० नईदिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है। :–

(1). विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(2). विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(3). विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति के मेंधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(4). संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की संम्बद्धता संट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नईदिल्ली / कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती हैं, तो उक्त परीक्षा परिषदों में संम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
(5). संस्था के शैक्षिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।
(6). कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृति का लाभ उपलब्ध करायें जायेंगे।
(7). राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
(8). विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
(9).उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिर्वतन/ संशोधन / परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता हैं कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधो का पालन नहीं किया जा रहा हैं अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती हैं। तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,
(बाबू राम)
अनु सचिव।

PRINCIPAL
B.S.S. Public School
Amol Vihar-Rae Bareli
School Code-5?409

पृष्ठ संख्या एवं दिनांक तदैव –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निर्देशक, उत्तरप्रदेश लखनऊ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशक, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली।
4. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तरप्रदेश लखनऊ।
5. प्रबंधक, बी० एस० एस० एजूकेशन सेन्टर ए–11 इन्दिरा नगर रायबरेली।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(बाबू राम)
अनु सचिव।

PRINCIPAL
B.S.S. Public School
Amol Vihar-Rae Bareli
School Code-54409